UPET010064972025

न्यायालयः अपर जिला जज, कक्ष संख्या-01, एटा।

उपस्थितः मनीषा-एच०जे०एस०(J.O.CODE UP6137)

सिविल प्रकीर्ण वाद संख्या-187/2025

सुभाष चन्द्र बनाम् अशोक कुमार आदि।

16-03-2026

आज यह पत्रावली आदेशार्थ नियत है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को रिकॉल प्रार्थनापत्र पर सुना जा चुका है।

आवदेक सुभाष चन्द्र की ओर से रिकॉल प्रार्थनापत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि '' प्रार्थी ने न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)एटा के आदेश दिनांक-10.03.2025 के विरूद्ध रिवीजन एटा वाद सं0-424/2024,अशोक कुमार बनाम् हरिओम कुमार आदि में पारित आदेश के विरूद्ध रिवीजन योजित किया था जिसके अन्तर्गत सुनवाई हेतु दिनांक-27.08.2025 नियत की गयी है। दिनांक-27.08.2025 को कलैक्ट्रेट बार की तरफ से एन०ए०का नोटिस माननीय जिला जज महोदय के यहाँ भेज दिया गया था। कलैक्ट्रेट बार एसोसियेशन के दौरान उक्त दिनांक को प्रतिकूल आदेश पारित न करने का प्रस्ताव भेज दिया गया था। जिसके कारण उक्त रिवीजन की सुनवाई नहीं हो सकी, ना ही किसी पक्षकार की बहस हुई और माननीय न्यायालय ने बिना बहस सुने आदेश की तारीख 04.09.2025 नियत कर दी। रिवीजनकर्ता उक्त दिनांक के न्यायालय बैठा रहा तथा पेशकार ने उक्त में तारीख 04.09.2025 बता दी। रेस्पोडेन्टस की तरफ से ऐतराज दाखिल करने हेतु व बहस करने हेतु अन्य अवसर की माँग करने हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय दिया गया जो कि प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिनांक-30.08.2025 को विपक्षी सं0-3 व 4 के द्वारा सीन कराया गया था तथा अशोक कुमार रेस्पोडेन्टस ने भी दिनांक 04.09.2025 को प्रार्थना पत्र भी दिया गया था उसके सम्बन्ध में भी कोई भी सुनवाई हेतु समय नहीं दिया गया। रिवीजनकर्ता को न्यायालय एटा बहस सुनने के पश्चात विधिक तथ्य होने की वजह से प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुन ली जाती तो रिवीजन स्वीकार हो जाता बहस न होने के कारण अपने अधिकार से वंचित रह गया। न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय में यह नहीं कहा कि दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी और पत्रावली के अवलोकन के वाद निर्णय किया जाता है। इस वजह से उक्त आदेश पूर्ण नहीं है और

Digitally signed by MANISHA
Date: 2026.03.16 04:48:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उक्त निर्णय के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। प्राकृक्तिक सिद्धान्तो के अनुसार दोनों पक्षकारो को सुनकर आदेश पारित करना चाहिए अथवा अदालत का यह स्पष्ट होना चाहिए कि फरीकेन जानबूझकर रिवीजन की पैरवी नहीं कर रहे है। इसलिए उक्त रिवीजन सुना जाना आवश्यक है। माननीय न्यायालय द्वारा पक्षकार को विधिक प्रक्रिया में अनुकूल सुना जाना अत्यन्त आवश्यक है और आदेश गुणदोष के आधार पर दोनो की सुनने व पत्रावली का अवलोकन के दौरान निर्णय देना अत्यन्त आवश्यक है। रिवीजनकर्ता ने रिवीजन में प्रतिपक्षी चार पार्टी बनायी है और आदेश में प्रतिपक्षी पाँच पार्टी रेस्पोडेन्ट में पक्षकार अंकित किये है। जबकि आदेश में रेस्पोडेन्ट सं0-5 रिहान खान पुत्र इशान अली खान निवासी-सराय अगहत तहसील अलीगंज जनपद एटा को बनाया गया है। जोकि अवर न्यायालय की पत्रावली में भी नहीं है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि रिकॉल प्रार्थना पत्र सुना जाकर आदेश दिनांक-04.09.2025 निरस्त किया जाकर दोनों पक्षो की बहस सुनने के उपरान्त व पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त गुणदोष के आधार पर निस्तारण करने की कृपा करे। आवेदक की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथपत्र, नकल आदेश दि. 04-09-2025 दाखिल की गयी है।''

आवेदक की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था M/S J N Real Estate Vs. Shailendra Pradhan on 22 April,2025 एवं Sujit Singh & Ors.Etc Vs.Harbans Singh & Ors Etc on 6 September,1995 दाखिल की गयी है।

विपक्षी संख्या-1 अशोक की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। उनके द्वारा कोई लिखित आपत्ति नहीं की गयी है मात्र मौखिक आपत्ति की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत सिविल प्रकीर्ण वाद धारा-151 सी०पी०सी० के अंतर्गत आवेदक सुभाष चन्द्र द्वारा इस न्यायालय के पूर्व पारित आदेश दिनांक 04.09.2025 (निगरानी संख्या-29/2025) को निरस्त करने एवं पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 21.07.2025 से न्यायालय में निरंतर अनुपस्थित रहा है। चूंकि निगरानी स्वयं आवेदक द्वारा योजित की गई थी, अतः उसे पृथक से नोटिस दिए जाने की कोई विधिक आवश्यकता नहीं थी। दिनांक 27.08.2025 को भी पक्षकार अनुपस्थित थे और उनकी ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया था। न्यायालय द्वारा न्यायहित में लिखित बहस दाखिल करने का अवसर प्रदान करते हुए पत्रावली दिनांक 04.09.2025 के लिए नियत की गई थी, परंतु उस तिथि तक न तो लिखित बहस दाखिल की गई और न ही कोई स्थगन प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 04.09.2025 को निगरानी का

निस्तारण गुणदोष के आधार पर किया गया है। धारा 151 सी.पी.सी. के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग वहां नहीं किया जा सकता जहां विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए आदेश पारित किया गया हो। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि आवेदक को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया था, जिसका लाभ उठाने में वह विफल रहा। धारा 151 सी०पी०सी० के तहत इस न्यायालय के पूर्व आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं पाया जाता है। अतः निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

तदनुसार आवेदक सुभाष चन्द्र द्वारा प्रस्तुत सिविल प्रकीर्ण वाद संख्या-187/2025 सुभाशचन्द्र बनाम अशोक कुमार आदि अंतर्गत धारा-151 सी०पी०सी० खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः16-03-2026

अपर जिला जज,
कक्ष संख्या-01,एटा।